

संख्या 18/1/2017-स्थापना-IX/3143

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग

कमरा संख्या 308, सेवा भवन,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली,
दिनांक 9 नवम्बर, 2017

सेवा में,

श्री मुकेश चौधरी,
गली न. 1, बादशाह हलवाई के पास,
पोली पठार, जबलपुर, मध्य प्रदेश

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री मुकेश चौधरी, गली न. 1, बादशाह हलवाई के पास, पोली पठार, जबलपुर, मध्य प्रदेश, से प्राप्त आवेदन।

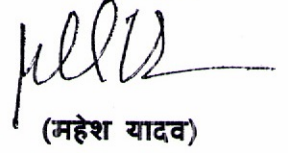
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र (Regn No- CWCND/R/2017/80149 दिनांक 31.10.2017 जो मंत्रालय से Regn No- MOWRC/R/2017/00288 द्वारा स्थानांतरित किया गया है) जो कि स्थापना नौ अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग में 06.11.2017 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में मांगी गई सूचना का उत्तर इस प्रकार है-

मद सं	मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
1.	संजय सिंह चौहान, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग में जॉइनिंग दिनांक आदेश, जॉइनिंग पत्र, तथा 20.10.2017 तक लिए गए अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति तथा निवास के पते की सत्यापित प्रति दे।	आपके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टता विनिर्दिष्ट नहीं है तथा यह प्रतीत होता है कि वांछित सूचना का प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है। इस प्रकार कि सूचना का प्रकटन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ज) के अंतर्गत वांछित है। अतः मांगी गई सूचना को उपलब्ध करना संभव नहीं है।
2.	जल संसाधन विभाग में उपस्थिती पंजी, बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उपस्थिती तथा Nov.2017 तक का प्राप्त वेतन पत्र की भी सत्यापित प्रति दे।	वांछित सूचना स्थापना-नौ अनुभाग से संबन्धित नहीं है।
3.	दिल्ली में निवास स्थान का पता तथा लिए जा रहे H.R.A की सत्यापित प्रति दे।	

2. उपरोक्त प्रदान कि गई सूचना से संतुष्ट न होने कि स्थिति मे, उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर, आप अपनी प्रथम अपील श्री एल बी टौल्टे, निदेशक (स्थापना-1), कमरा संख्या 321, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 को भेज सकते है।

भवदीय,



(महेश यादव)

अवर सचिव एवं केन्द्रीय
लोक सूचना अधिकारी,
दूरभाष-29583344

प्रति:

① नोडल अधिकारी एवं अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 को उनके पत्राचार संख्या A-49012/8/2017/RTI/365 दिनांक 01.11.2017 के सन्दर्भ में।

OM
10.11.17

② DDI SMD for uploading the reply in the RTI portal of website of Central Water Commission.